(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2017-पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-03-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2013-14

हिरालाल पिता पीरा डामर
निवासी ग्राम छोटी बोलासा
तहसील पेटलाबाद जिला झाबुआ म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

गिरधारी पिता सुकला डामर
निवासी ग्राम छोटी बोलासा
तहसील पेटलाबाद जिला झाबुआ म.प्र .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 18-03-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार टप्पा तहसील सारंगी तहसील पेटलाबाद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम छोटी बोलासा तहसील पेटलाबाद स्थित सर्वे नंबर 1416 रकबा 0.14 हेक्टयर भूमि से आवेदक अवैध कब्जा हटाये जाने का अनुरोध किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ-70/2010-11 दर्ज कर दिनांक 13-02-2012 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06-09-2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-03-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालयो द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया और न ही साक्ष्य ली गई की अनावेदक को वादग्रस्त भूमि से कब बेदखल किया गया और उक्त भूमि पर उसका कब कब्जा था तथा आवेदक का कब्जा उक्त भूमि पर कब से चला आ रहा है । ऐसा कोई अभिवचन अनावेदक द्वारा नहीं किया और न ही साक्ष्य के माध्यम साबित किया गया, उसके बाद भी आदेश देने में वैधानिक भूल की है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधान मुजब अनावेदक का आवेदन पत्र अवधि बाधित मानते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया गया, जिसे न मानने में अपीलीय न्यायालय द्वारा भूल की है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक के कब्जे की जानकारी वास्तविक स्वामी एवं अनावेदक को होकर तथा स्वयं अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के पैरा 02 में दिनांक 20-06-2000 को आदेश की जानकारी का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों में चले प्रकरण की जानकारी व कब्जे की जानकारी होते हुए भी अपीलीय न्यायालयों द्वारा इन तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश देने की भूल की है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि आवेदक के कब्जे का इन्द्राज सक्षम न्यायालय के आदेश से दिनांक 04-10-2001 से दर्ज किया गया होकर तथा उक्त आदेश एवं दिनांक 28-04-2001 के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अनावेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में वैधानिक चुनौती नहीं दिये जाने से उक्त आदेश अनावेदक पर बंधनकारी होते हुए भी इन तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश देने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चले अपीलीय प्रकरण क्रमांक 12/अपील/1999-2000 में एवं नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 2/अ-74/1998-99 की जानकारी भी अनावेदक को रही है । यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालयों द्वारा बिना साक्ष्य लिये तथा संहिता के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धि आदेश देने में भूल की है । तर्क में यह भी कहा गया कि

संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि संहिता धारा 117 में खसरा प्रविष्टि का साक्षिक महत्व व मूल्य है एवं मौखिक साक्ष्य से अधिक विश्वसनीय होते हुए भी उक्त खसरा प्रविष्टि को सही न मानने में भूल की है । यह भी कहा गया कि प्रार्थना पत्र में आधिपत्य विहिन किये जाने का दिनांक, समय, कब और किस प्रकार से किया गया उसका विवरण दिये बिना संहिता की धारा 250 के तहत बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार किये बिना आदेश देने में भूल की गयी है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अनावेदक द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई और विलम्ब के संबंध में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया और न ही धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके बावजूद भी आदेश देने में भूल की है । यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालयों द्वारा अपने आदेश में तहसील न्यायालय द्वारा क्या कानूनी त्रुटि की गई, इसके संबंध में उल्लेख किये बिना ही प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कब्जा दिलाये जाने संबंधी जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश को स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा भूल की है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, तथा उसका कुंआ व हरे वृक्ष वर्षों पुराने लगे हुए है, इस संबंध में साक्ष्य लिये बिना तथा प्रकरण की पूर्ण विवेचना किये बिना कब्जा दिलाये जाने के संबंध में आदेश देने में भूल की है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के खसरे के कॉलम नम्बर 12 में आवेदक का कब्जा वर्ष 1999-2000 से दर्ज चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा दिनांक 27-6-11 को संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र

निश्चित रूप से संहिता की धारा 250 में कब्जा के सम्बन्ध में दी गई दो वर्ष की समय-सीमा से बाहर है । अत: अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1988 आर.एन. 8 दीपक सोनी विरूद्ध सकनी किस्टर में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 250–आवश्यक तत्व–वेकब्जा किये जाने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए ।"

इसी प्रकार 1993 आर.एन. 363 नेतरामसिंह विरूद्ध ओंकारसिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 250–व्याप्ति–लम्बे समय से कब्जा–सीमांकन की तारीख से दो वर्ष के भीतर कब्जा हेतु कार्यवाही की जा सकती है ।"

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय के वैधानिक आदेश को निरस्त करने में भूल की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी इस ओर बिना ध्यान दिये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की स्थिर रखने में अवैधानिकता की गई, इसलिए अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 18-03-2014 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6-9-2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर